मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

127वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 26–12–2024

का

कार्यवृत

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 127वीं बैठक दिनांक 26–12–2024 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 127वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ /अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 26–12–2024 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदया तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1	श्री अभिषेक पाण्डेय,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	**उपाध्यक्ष**
2	श्री दीपक मीणा,	जिलाधिकारी, मेरठ।	**सदस्य**
3	श्री सौरभ गंगवार,	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	**सदस्य**
4	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ।	**सदस्य**
5	श्री दीपेन्द्र कुमार,	उपायुक्त, उद्योग, प्रतिनिधि अपर निदेशक उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	**सदस्य**
6	श्री कृष्ण मोहन,	सहयुक्त नियोजक, (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक) ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	**सदस्य**
7	श्री विश्व जीत सिंह,	सहायक वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि–चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 गाजियाबाद।	**सदस्य**
8	श्री प्रशान्त कुमार,	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	**सदस्य**
9	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ।	**सदस्य**
10	श्रीमती वर्षा कौशिक	शासन द्वारा नामित सदस्य, के–03, के ब्लॉक, विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, शास्त्रीनगर, मेरठ।	**सदस्य**

11	श्री नैन सिंह तोमर	शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं001, मकान नं0 08, नेहरू नगर, मेरठ।	**सदस्य**
12	श्री आनन्द कुमार सिंह	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	**संयोजक / सदस्य**

कोरम पूर्ण है। अतएव अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

<u>126वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10–06–2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि</u> –

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 10–06–2024 को सम्पन्न 126वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

122वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–02–2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

क्र० सं०	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
11.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस् को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	अवगत कराना है कि नगर निगम, मेरठ में आ रही विभिन्न समस्याओं के निसकरण के संम्बन्ध में आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2024 को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक के दौरान आयुक्त महोदया द्वारा मेरठ नगर का मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उल्लेखनीय है कि नगर की सीवरेज, ड्रेनेज आदि का निर्माण/ मेन्टीनेन्स कराये जाने हेतु नगर निगम, मेरठ कार्यदायी संस्था है, इसलिए मेरठ नगर की ड्रेनेज समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शहर में स्थित ड्रेनेज को बाहरी ड्रेनेज से कनेक्ट किये जाने तथा मेरठ नगर की ड्रैनेज व्यवस्था	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहनता से चर्चा उपरान्त नगर निगम को पूरे शहर का मास्टर ड्रेनेज़ प्लान तैयार कराने के निर्देश दिये गये। मास्टर ड्रैनेज प्लान तैयार किये जाने हेतु कन्सलटेन्सी फीस का वहन मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

		को सुदृढ किये जाने हेतु मेरठ नगर का मास्टर ड्रेनेज प्लान नगर निगम द्वारा तैयार कराया जायेगा। मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किये जाने हेतु कन्सलटेन्सी फीस का वहन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा नगर आयुक्त महोदय से मेरठ नगर के मास्टर ड्रैनेज प्लान तैयार किये जाने की कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु कार्यालय पत्र सं0 MeDA/24-25/P/4329 दिनांक 03.12.2024 प्रेषित किया गया है। अतः आयुक्त महोदया द्वारा दिये गये निर्देशो के कम में नगर निगम द्वारा तैयार कराये जा रहे मेरठ नगर के मास्टर ड्रेनेज प्लान पर होने वाले कन्सलटेन्सी व्यय को अवस्थापना निधि से कराये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/ निणयार्थ प्रस्तुत है।	
13.	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अर्द्धनिर्मित भवनों को यथा स्थिति में बल्क सैल के माध्यम से विकय किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में वर्तमान में योजना विज्ञापित है। डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना, पॉकेट CP, K एवं शताब्दीनगर आवासीय योजना, सेक्टर –4C के पॉकेट J में नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों e-Auction हेतु विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर urlhttps://mda. procure247.com/ लिंक पर उपलब्ध है। डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के ग्रुप हाउसिंग	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

		के भूखण्डों का परिसम्पत्तियों सहित ई–नीलामी दिनांक 17–01–2024 को तथा शताब्दीनगर योजना, सेक्टर 4सी के पॉकेट 'जे' में स्थित ग्रुप हाउसिंग के 02 भूखण्डों की परिसम्पत्तियों सहित ई–नीलामी दिनांक 18–01–2024 को नियत है।	
14.	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित ''निर्माण निषिद्ध क्षेत्र'' में पडने वाले 254 आवंटियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में लैण्ड मोनीटाईजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 23.07.2024 को सम्पन्न ई–लाटरी के माध्यम से डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी के विस्तारीकण से प्रभावित 53 आवासीय भूखण्डों का समायोजन किया जा चुका है। तद्क्रम में हितबद्ध व्यक्तियों को भूखण्डों के समायोजन की सूचना कार्यालय द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

<table>
<tr><td colspan="4">दिनांक 20–11–2021 को सम्पन्न 118वीं बोर्ड बैठक एवं दिनांक 23–02–2023 को सम्पन्न 122वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–</td></tr>
<tr>
<td>13 व 04</td>
<td>मेरठ विकास प्राधिकरण में जेम पोर्टल के माध्यम से आउट सोर्सिगं पर 02 मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन), 01 लेखपाल, 01 लेखाकार, 01 विधि अधिकारी एवं 01 प्लानिंग असिस्टेंट कार्य पर</td>
<td>
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th colspan="2">अनुमोदित पद</th><th>पद के सापेक्ष नियुक्ति</th><th>अतिरिक्त पद की आवश्यकता</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>राजस्व अधिकारी</td><td>0</td><td>01</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वित्त एवं लेखाधिकारी</td><td>01</td><td>01</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सहायक अभियन्ता (सिविल)</td><td>03</td><td>03</td><td>0</td></tr>
</table>
</td>
<td>1. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कुल 17 कार्मिको की विभिन्न पदों हेतु प्रस्ताव post facto अनुमोदन प्रदान किया गया व अवर अभियन्ता के 05 पदों पर सेवा निवृत्त अभियन्ता के</td>
</tr>
</table>

रखे जाने एवं सेवानिवृत्त/ स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर प्राधिकरण से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

4.	अवर अभियन्ता (सिविल)	06	01	0
5.	अवर अभियन्ता (विद्युत)	02	0	0
6.	मानचित्रकार	02	02	0
7.	अर्बन प्लानर	01	01	0
8.	लेखपाल	02	02	0
9.	कम्प्यूटर टाईपिस्ट	34	40	06
10.	लेखाकार	01	01	0
11.	सहायक लेखाकार	02	03	01
12.	लिपिक	02	02	0
13.	सुरक्षागार्ड	06	12	06
14.	प्लानिंग असिस्टेंट	01	0	0
15.	विधि सलाहकार	01	0	0
16.	अर्बन डिजाइनर	01	01	0
17.	ट्रान्सपोर्ट प्लानर	01	0	0
18.	वाहन चालक	0	03	03
	योग	**66**	**73**	**17**

1. क्रमांक 01 पर राजस्व अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। कार्य की महत्वता के दृष्टिगत टाउनशिप के कार्य को गति प्रदान करने हेतु आउट सोर्स के माध्यम से राजस्व अधिकारी की आपूर्ति कर ली गयी है। इसी प्रकार प्राधिकरण की अन्य आव यकताओं के दृष्टिगत क्रमांक 09 पर आउट सोर्स

स्थान पर युवा डिप्लोमा होल्डर को मानदेय/आऊट सोर्स पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

2. बोर्ड को अवगत कराया गया कि अधिसंख्य पदों पर पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों के मृतक आश्रितों की नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन के पत्र सं०–135/आठ–10–2023/54ई/2016 दिनांक 05.04.2023 एवं पत्र सं०–I/823257/2024 दिनांक 13.12.2024 के अनुपालन में नियुक्ति की अग्रिम कार्यवाही की जानी है। माननीय बोर्ड द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में एवं मृतक आश्रित नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

		के माध्यम से 06 कम्प्यूटर टाईपिस्ट, क्रमाँक 11 पर 01 सहायक लेखाकार क्रमांक 13 पर 06 सुरक्षागार्ड एवं क्रमाँक 18 पर 03 वाहन चालक की आपूर्ति कर ली गयी है। इस प्रकार उपरोक्त तालिका के कॉलम 05 के अनुसार कुल 17 कार्मिको की विभिन्न पदों हेतु प्रस्ताव post facto अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। 2. मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में आऊट सोर्स पर अवर अभियन्ता रखे जाने हेतु दिनांक 20—04—2022 को सम्पन्न बोर्ड बैठक में 06 पदों पर सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता रखे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 01 सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की आउट सोर्स पर आपूर्ति कर ली गयी है। शेष 05 स्वीकृत पदों हेतु स्थलीय भ्रमण व साईट सुपरविजन, सर्वेक्षण इत्यादि के कार्य की आवश्यकता हेतु युवा डिप्लोमा होल्डर्स की आवश्यकता है। अतः शेष 05 पदों पर सेवा निवृत्त अभियन्ता के स्थान पर युवा डिप्लोमा होल्डर को मानदेय/आऊट सोर्स पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।	

124वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–08–2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन –

मद सं०	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
3.	प्राधिकरण से विकासकर्ताओ द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की समयावधि के अन्दर हस्तान्तरित हो, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नही है कालोनियां स्वतः ही नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित हो जाने के सम्बन्ध में।	वर्तमान दिनांक तक नगर निगम द्वारा Economic Viability Plan प्रस्तुत नहीं किया गया है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। नगर निगम को हस्तान्तरित कालोनियों का वायबिलिटी प्लान एक माह के अन्दर तैयार कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

125वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12–01–2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन –

3.	मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण /नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि अद्यतन् ग्राम महीउद्दीनपुर के 39 विलेख, ग्राम दौलतपुर	मा0 बोर्ड द्वारा न्यू–मेरठ योजना हेतु क्रय की गयी भूमि के निष्पादित विलेखों की प्रगति से

	विकास हेतु जिला व तहसील मेरठ में स्थित ग्राम छजमलपुर उर्फ छज्जूपुर, इकला, दौलतपुर फखराबाद उर्फ कायस्थ गांवड़ी एवं ग्राम महीउद्दीनपुर की भूमि कृषकों से आपसी बातचीत के माध्यम से क्रय करने हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	फखराबाद उर्फ कायस्थ गांवडी के 44 व ग्राम छजमलपुर उर्फ छज्जूपुर के 06 विलेख सहित कुल 89 विलेख कृषकों से प्राधिकरण पक्ष में निष्पादित कराये जा चुके है। प्राधिकरण को 61.6653 हैक्टेअर प्राप्त हो गयी है जिस पर अद्यतन् अंकन रूपये 4,37,60,61,038/-(437.61करोड़) का व्ययभार आ चुका है। माह जनवरी, वर्ष 2025 तक लगभग 100है0 भूमि का क्रय प्रस्तावित है। मा0 बोर्ड को अवगत कराना है कि परियोजना क्षेत्र के किसानों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही थी कि अकृषक भूमि के सापेक्ष भी निर्धारित सर्किल दर का 04 गुणा मुआवजा भुगतान किया जाये। उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्णय हेतु जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित क्रय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 07.12.2024 को आहूत की गयी। समिति द्वारा यह विमर्श किया गया कि चूंकि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही वर्तमान में क्रय समिति की बैठक दिनांक 30.10.2023 द्वारा निर्धारित मूल्य अनुसार, राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित भूमि पर 50	अवगत होते हुए किसानों द्वारा अकृषक भूमि के सापेक्ष निर्धारित सर्किल दर का 04 गुणा मुआवजा दिये जाने की माँग के सम्बन्ध में दिनांक 07/17.12.2024 को सम्पन्न जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित क्रय दर निर्धारण समिति के कार्यवृत्त का संज्ञान लेते हुये समिति की बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

		प्रतिशत मूल्य वृद्धि से, लिंक मार्ग पर स्थित भूमि पर 20 प्रतिशत मूल्य वृद्धि से तथा आबादी (न्यूनतम 05 मकानों में परिवारों को रिहाइस) से 200 मीटर की त्रिज्या पर 30 प्रतिशत मूल्य वृद्धि दर पर कृषको से सहमति के आधार पर पर्याप्त मुआवजे के भुगतान उपरान्त् भूमि क्रय की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में क्रय समिति द्वारा बैठक दिनांक 30.10.2023 में किये गये दर निर्धारण पर पुनः विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। क्रय समिति की बैठक दिनांक 07–12–2024 का कार्यवृत्त मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
3.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में कतिपय व्यक्तियों के पक्ष में भूखण्ड/भवन/फ्लैट/विलॉज आदि का एक से अधिक बार आवंटन होना पाया जाना तथा योजना की अनुपयोगी भूमि यथा कब्रिस्तान, बिजलीघर आदि की भूमि पर भूखण्ड आवंटित होने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्देश का अनुपालन कर लिया गया है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

4.	मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में प्रयोजन हेतु ग्रीन वर्ज, पार्क, आवासीय, व्यवसायिक, सड़क तथा मानको के अनुरूप सुविधाओं को छोडते हुए शेष निष्क्रिय पडी भूमि को नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्देशानुसार लैण्ड मोनिटाईजेशन योजना प्रथम चरण में 28.67 है0 भूमि के सापेक्ष लागू की गयी। कुल क्षे0 28.67है0 भूमि पर लैण्ड मोनेटाईजेशन प्रक्रिया के सम्पादन उपरान्त् कुल 1456 भूखण्ड सृजित किये गये। योजनान्तर्गत सृजित किये गये भूखण्डों के विक्रय से प्राधिकरण को लगभग 1500 करोड़ की आय सम्भावित है। वर्तमान में योजना के द्वितीय चरण हेतु भूमि के चिन्हांकन उपरान्त् पुर्ननियोजन का कार्य गतिमान है।	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त लैण्ड मोनिटाईजेशन योजना द्वितीय चरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये कि चिन्हांकन का कार्य पूर्ण कराकर योजनाओं के संशोधित तलपट मानचित्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें।
5.	लोहियानगर आवासीय योजना में निर्मित/अर्धनिर्मित (एल.आई.जी. व ई.डब्लू.एस.) भवनों के अनुबन्धों को यथास्थिति अन्तिम करते हुए बल्क में विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में वर्तमान में योजना विज्ञापित है। डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना, पॉकेट CP, K एवं शताब्दीनगर आवासीय योजना, सेक्टर–4C के पॉकेट J में नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों e-Auction हेतु विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mda meerut.in पर urlhttps://mda.procure247.com/ लिंक पर उपलब्ध है। डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के	अनुपालन आख्या अवलोकित।

		ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों का परिसम्पत्तियों सहित ई–नीलामी दिनांक 17–01–2024 को तथा शताब्दीनगर योजना, सेक्टर 4सी के पॉकेट 'जे' में स्थित ग्रुप हाउसिंग के 02 भूखण्डों की परिसम्पत्तियों सहित ई–नीलामी दिनांक 18–01–2024 को नियत है।	
6.	कंकरखेडा शिव चौक तिराहा के, ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण हेतु, पुर्नविकास कराये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्देशानुपालन में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। स्थल पर स्थित विद्युत ट्रान्सफार्मर को शिफ्ट कराने हेतु विद्युत विभाग को आगणित धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। विद्युत ट्रान्सफार्मर व बीज गोदाम के गेट की शिफ्टिंग उपरान्त कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। वर्तमान में ग्रेप लागू होने के कारण कार्य बन्द है।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा वर्तमान में लागू ग्रेप हट जाने के पश्चात् कार्य त्वरित गति से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
10.	प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी योजना में खसरा सं0–1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 व 1016 ग्राम घाट मेरठ की भूमि को क्रय/ अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कृषकों से भूमि क्रय करने हेतु सहमति प्राप्त कर ली गयी है। सहमति उपरान्त जिलाधिकारी मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति से दर की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है। क्रय समिति की बैठक दिनांक 07–12–2024 का कार्यवृत्त मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न क्रय समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए मेरठ –दिल्ली मुख्य बाईपास मार्ग को वेद व्यासपुरी योजना के डिवाईडर मार्ग में लिंग किये जाने हेतु मार्ग

			में पडने वाने वाली भूमि का राजस्व विभाग द्वारा किये गये चिन्हांकन के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों पर सम्बन्धित कृषकों से आपसी सहमति से भूमि क्रय करने के निर्देश दिये गये।
11.	वैशाली कालोनी के निरस्त तलपट मानचित्र संख्या–138 व मित्र लोक कालोनी के निरस्त तलपट मानचित्र संख्या–502/96 को पुनर्जीवित किये जाने के सम्बन्ध में।	वैशाली कॉलोनी के प्रकरण में राजस्व विभाग की अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण वर्तमान में कार्य लम्बित है। गत् बैठक में मा0 बोर्ड द्वारा मित्र लोक सहकारी आवास समिति लि0, गढ़ रोड के पूर्व में स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–502/96 में नलकूप विभाग की भूमि से प्रभावित क्षेत्र के चिन्हांकन का निर्देश दिया गया था। अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड (पूर्व), मेरठ के पत्रांक –2161/न0ख0पू0मे0/27एम.जी. दिनांक 20.12.2024 द्वारा नलकूप विभाग की नाली के बराबर स्थित समिति के भूखण्ड संख्या–ए–13, सी–1 से सी–29 को प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। चूंकि बडी संख्या में आमजन द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर प्रश्नगत आवासीय समिति में भूखण्ड खरीदे	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन के अवलोकनोपरान्त मित्रलोक कालोनी में स्थित नलकूप विभाग की चिन्हीत भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर तलपट मानचित्र स्वीकृति करने का निर्णय पारित किया गया। वैशाली कालोनी की भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग का अनापत्ति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

		गये थे एवं कालान्तर में बडी संख्या में आमजन वहां पर मकान बनाकर निवासरत है, ऐसी दशा में व्यापक जनहित में नलकूप विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार चिन्हित भूमि को पूर्व में स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–502/96 से पृथक करते हुये भोश क्षेत्रफल हेतु मानचित्र बहाली का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
12.	दिल्ली रोड (शताब्दीनगर) से दिल्ली मेरठ रेलवे लाईन (आयल डिपो) वेदव्यासपुरी योजना की 68 मी0 चौडे मार्ग तक ईनर रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देशानुसार Priority सेक्शन के निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। शासन स्तर से धनराशि स्वीकृत होने के उपरान्त् अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित है।	शासन से प्राप्त होने वाले निर्देशों के क्रम मे अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
15.	मेरठ विकास प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना में मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप प्रा0लि0 को आवंटित आवासीय बल्क भूमि के सापेक्ष आडिट आपत्ति के क्रम में 10 प्रतिशत सरचार्ज की देयता वसूल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप प्रा0लि0 को पत्र भेकर सूचित किया जा चुका है। तद्क्रम बिल्डर द्वारा अपने 24 आवेदकों से 10 प्रतिशत सरचार्ज के मद में देय धनराशि अंकन रूपये 83,16,312/-प्राप्त कर प्राधिकरण कोष में जमा की गयी है। किन्तु बिल्डर द्वारा विलेख के निष्पादन हेतु देय स्टाम्प डयूटी जमा नहीं की	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। बोर्ड द्वारा इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि मै० अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप प्रा0लि0 ''सुशान्त सिटी'' सेक्टर–4ए के आवंटियों द्वारा मैसर्स बिल्डर के ऐवज देय 10 प्रतिशत सरचार्ज की धनराशि का भुगतान किये जाने के बावजूद, विक्रय विलेख के

		जा रही है, जिस कारण वर्तमान में कार्य लम्बित है।	निष्पादन हेतु देय स्टाम्प डयूटी, जो कि शासन के जारी अद्यतन् आदेशानुसार निबन्धन के दिनांक को सम्पत्ति मूल्य पर देय है, जमा करने में हीला–हवाली की जा रही है, मेरठ विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि ऐसे आवंटी जो सरचार्ज के मद में देय धनराशि जमा कराने उपरान्त् स्टाम्प की देय धनराशि व्यक्तिगत रूप से निबन्धन कार्यालय में जमा कराकर रजिस्ट्री कराने के इच्छुक हैं, के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा सीधे रजिस्ट्री कर दी जाये।
18.	प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पाकेट 'एफ' में नगर निगम, मेरठ द्वारा डाले जा रहे कूडा स्थल के समतुल्य भूमि नगर निगम मेरठ द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अथवा उसके बाहर मेरठ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव।	उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में नगर निगम मेरठ द्वारा वर्तमान दिनांक तक कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।	बोर्ड द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहिया नगर स्थित नगर निगम द्वारा डम्पिंग ग्राउन्ड के रूप में प्रयुक्त भूमि के एवज समतुल्य मूल्य की भूमि, नगर निगम सीमान्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम को निर्देश दिये गये।

125वीं बोर्ड बैठक में मा0 अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत बिन्दुओं पर पारित निर्णय का अनुपालन–			
(a)	हस्तिनापुर क्षेत्र में पर्यटन विभाग, वन विभाग आदि का सहयोग लेकर तथा भूमि का सत्यापन परगनाधिकारी मवाना से कराकर इस क्षेत्र को मेरठ विकास प्राधिकरण ईको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म आदि के रूप में विकसित करने का कार्य किया जाये।	उपरोक्त कार्य हेतु केन्द्र सरकार की स्पेशल कैपिटल एसिस्टेंस टू स्टेट्स योजना अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को 15.98 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। अतएवं उपरोक्त कार्य उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा कराया जाना श्रेयस्कर होगा।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं उपरोक्त कार्य पर्यटन विभाग के द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये गये।
(b)	शहरी क्षेत्र में अन्य विभागों की खाली, अनुपयोगी भूमि के सम्बन्ध में एक कार्य–योजना मेरठ विकास प्राधिकरण इस रूप में तैयार करें कि उक्त स्थलों का विकास सम्बन्धित विभाग के साथ, समन्वय करके अच्छे ढंग से किया जाये ताकि प्रश्नगत भूमि के उपयोग से प्राधिकरण को आर्थिक लाभ हो सके एवं भूमि भी भविष्य में अतिक्रमण से मुक्त रह सके।	मा0 बोर्ड के निर्देशानुसार अन्य विभागों की रिक्त भूमियों की इन्वेंटरी तैयार कर ऐसी समस्त भूमियों के वैल्यूएशन की कार्यवाही गतिमान है।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा अन्य विभागों की खाली, अनुपयोगी भूमि की खाली पड़ी भूमि का Consultant Agency से सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये।

(c)	वन विभाग के साथ सामन्जस्य स्थापित कर संजय वन को सिटि फोरेस्ट के रूप में विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में दिल्ली रोड़ पर स्थित संजय वन को सिटि फोरेस्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु निविदायें आमन्त्रित किये जाने की प्रक्रिया में है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

127वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–07–2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषय	निर्णय
1	वित्तीय वर्ष 2024–25 का माह नवम्बर, 2024 तक का वास्तविक एवं पुनरीक्षित आय–व्ययक एक दृष्टि में।	मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित आय–व्ययक स्वीकृत किया गया।
2	प्राधिकरण के सामान्य पूल फण्ड से रू0 115.00 करोड अवस्थापना निधि में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	सामान्य पूल फण्ड से रूपये 115 करोड़ की धनराशि अवस्थापना निधि में हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
3	प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2023–24 की ऑडिटिड बैलेंस शीट।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की आडिटिड बैलेंस शीट अनुमोदित की गयी।
4	लोहिया नगर योजना मे निर्मित अफोर्डेबल हाउस योजना की (जी3) के समस्त 576	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 126वीं बोर्ड के निर्णय के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

	भवनों को बल्क में विक्रय किये जाने के कारण आवंटित 94 फ्लैटो के निस्तारण के सम्बन्ध में।	1. सर्वप्रथम डिफाल्टर आंवटियों का आवंटन निरस्त करने एवं उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज, बिना कटौती के वापस की जाये। 2. रजिस्ट्रीशुदा फ्लैटस् के आवंटियों एवं पूर्ण भुगतान वाले आवंटियों से अन्यत्र उपलब्ध रिक्त फ्लैटों में सहमति उपरान्त् समायोजन अथवा 04 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि वापस की जाये।
5	मेरठ विकास क्षेत्र के अर्न्तगत प्रभावी महायोजना–2031 के जोनिंग रेगुलेशन के प्रावधानो के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाएं अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त ग्राम खरखौदा, परगना सरावा, जिला मेरठ के खसरा सं0 2000 क्षेत्रफल 2390.14 वर्ग मी0 पर श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री जस्सा सिंह द्वारा विद्युत चार्जिंग स्टेशन की स्वीकृति हेतु प्रेषित शमन मानचित्र पर महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अन्तर्गत शमन किये जाने की विशेष अनुमति व ग्राम हसनपुर कदीम, गढ रोड मेरठ के खसरा सं0–181, क्षेत्रफल 2265.73 वर्ग मी0 पर श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह द्वारा द्वारा प्राधिकरण मे ऑनलाईन यू.पी.ओ.बी.पी.एस. पोर्टल पर फिलिंग स्टेंशन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र सं0 MDA/BP/24-25/0590 महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानो के अनुसार ग्रीन वर्ज भू–उपयोग मे फिलिंग स्टेशन किया विशेष अनुमति से मानचित्र अनुमन्य किये जाने की अनुमति, ग्राम दबथुवा बुबकपुर, मेरठ के खसरा सं0 131मि, क्षेत्रफल 2700.00 वर्ग मी0 पर श्री विकास त्यागी व श्री अजय कुमार द्वारा प्राधिकरण मे ऑनलाईन यू.पी.ओ.बी.पी.एस. पोर्टल पर फ्यूल स्टेशन/पैट्रोल पम्प की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र सं0 MDA/BP/23-24/1381 महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानो के अनुसार ग्रीन वर्ज भू–उपयोग मे पैट्रोल पम्प किया विशेष अनुमति से मानचित्र अनुमन्य किये जाने की अनुमति व ग्राम नालपुर, परगना सरावा, जिला मेरठ के खसरा सं0 559/3, क्षेत्रफल 2873.00 वर्ग मी0

		पर श्री मनुज जैन पुत्र श्री जगमोहन जैन द्वारा द्वारा प्राधिकरण मे ऑनलाईन यू.पी.ओ.बी.पी.एस. पोर्टल पर फ्यूल स्टेशन/पैट्रोल पम्प की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र सं0 MDA/BP/23-24/0668 महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानो के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में विशेष अनुमति से मानचित्र अनुमन्य किये जाने की अनुमति व ग्राम घाट, जिला मेरठ के खसरा सं0 1007मि, क्षेत्रफल 8360.00 वर्ग मी0 पर श्री रिछपाल सिंह यादव पुत्र श्री सीता राम व श्री विकास यादव पुत्र श्री रिछपाल सिंह यादव द्वारा रेस्टोरेन्ट की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण मे ऑनलाईन यू.पी.ओ.बी.पी.एस. पोर्टल पर प्रस्तुत मानचित्र सं0 MDA/BP/24-25/0114 महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानो के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण विशेष अनुमति से मानचित्र अनुमन्य किये जाने की अनुमति तथा ग्राम कुण्डा, मेरठ के खसरा संख्या–370/2 क्षेत्रफल 1760.00 वर्ग मी0 की भूमि पर बजट होटल की स्वीकृति हेतु श्री अवनीश गर्ग पुत्र श्री अशोक कुमार गर्ग द्वारा प्राधिकरण में ऑनलाईन यू.पी. ओ.बी.पी.एस. पोर्टल पर प्रस्तुत मानचित्र सं0 MDA/BP/24-25/0488 महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानो के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण विशेष अनुमति से मानचित्र अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।
6	ग्राम मवाना खुर्द, मेरठ के खसरा संख्या –10मि0 रकबा 2.3304 हेक्ट0 भूमि को कृषि एवं हाईवे फैसेलिटी जोन भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त मेरठ महायोजना–2031 के अन्तर्गत स्थित ग्राम मवाना खुर्द, मेरठ के खसरा संख्या–10मि0 रकबा 2.3304 हेक्ट0 भूमि को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ''कृषि एवं हाईवे फैसेलिटी जोन'' भू–उपयोग से ''औद्योगिक'' भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

7	ग्राम पांचली, बागपत रोड, मेरठ के खसरा सं०–110मि, 120मि, 161मि, 163मि, 164, 166ग, 166मि, 333मि, 334मि, 335मि, 336मि, 361मि व 365मि रकबा 13.6065है0 भूमि को कृषि एवं हाईवे फैसेलिटी जोन भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त मेरठ महायोजना–2031 के अन्तर्गत स्थित ग्राम पांचली, बागपत रोड, मेरठ के खसरा संख्या– 110मि, 120मि, 161मि, 163मि, 164, 166ग, 166मि, 333मि, 334मि, 335मि, 336मि, 361मि व 365मि रकबा 13.6065 हेक्ट0 भूमि को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत "कृषि एवं हाईवे फैसेलिटी जोन" भू–उपयोग से "आवासीय" भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।
8	ग्राम सलारपुर, मेरठ के खसरा संख्या–268मि, 268ब, 270, 270ब, 258, 271 व 283मि रकबा 4.9639 हेक्ट0 भूमि को कृशि एवं हाईवे फैसेलिंटी जोन भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त मेरठ महायोजना–2031 के अन्तर्गत स्थित ग्राम सलारपुर, मेरठ के खसरा संख्या–268मि, 268ब, 270, 270ब, 258, 271 व 283मि रकबा 4.9639 हेक्ट0 भूमि को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत "हाईवे फैसेलिंटी जोन" भू–उपयोग से "औद्योगिक" भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।
9	ग्राम मसूरी, मेरठ के खसरा संख्या–436 /2 व 436/3 रकबा 0.41806 हेक्ट0 भूमि को हाईवे फैसेलिटी जोन भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त मेरठ महायोजना–2031 के अन्तर्गत स्थित ग्राम मसूरी, मेरठ के खसरा संख्या–436/2 व 436/3 रकबा 0.41806 हेक्ट0 भूमि को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत "हाईवे फैसेलिटी जोन" भू–उपयोग से "औद्योगिक" भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।
10	ग्राम पांचली खुर्द, मेरठ के खसरा संख्या–333मि रकबा 1.5236 हेक्ट0 भूमि को हाईवे	प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त मेरठ महायोजना–2031 के अन्तर्गत स्थित ग्राम पांचली खुर्द, मेरठ के खसरा सं0 333मि0 रकबा 1.5236 हेक्ट0

	फैसेलिटी जोन भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ''हाईवे फैसेलिटी जोन'' भू–उपयोग से ''आवासीय'' भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।
11	मेरठ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) के अन्तर्गत ग्राम अब्दुल्लापुर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु सर्कुलेशन प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त मेरठ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) के अन्तर्गत ग्राम अब्दुल्लापुर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु सर्कुलेशन प्लान पर उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।
12	मेरठ विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा पूर्व मे परिचालन के माध्यम से अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में शासन द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 27.06.2024 में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा दिये गये के निर्देशो के क्रम में मेरठ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मेरठ–प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस–वे से आच्छादित 02 ग्राम क्रमशः नित्यानन्दपुर व गोविंदपुरी तथा नगर पंचायत दौराला को सम्मिलित करते हुए पूर्व में अधिसूचित क्षेत्र के विस्तार हेतु दिनांक 16.03.2024 को प्रेषित प्रस्ताव मे सम्मिलित करते हुए विस्तारित क्षेत्र का समेकित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
13	मेरठ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) के अन्तर्गत चिन्हित टी.ओ.डी. जोन्स से सम्बद्ध पोटेन्शियल जोन्स के जोनल डवलपमेन्ट प्लान एन.सी.आर.टी.सी. के	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त मेरठ महायोजना–2031 के अन्तर्गत टी0ओ0डी0 जोन सं0 2, 3, 4, 5, 6 व 7 का जोनल डवलपमेन्ट प्लान एन.सी.आर.टी.सी. के माध्यम से तैयार कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

	माध्यम से तैयार कराये जाने सम्बन्ध मे।	
14	शताब्दी नगर योजना मे नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डो पर बेसिक एफ0ए0आर0 2.5 किये जाने के सम्बन्ध में।	शताब्दीनगर योजना के विकसित सेक्टर 1, 3 व 4सी को छोड़कर शेष समस्त सेक्टर्स को अविकसित क्षेत्र घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
15	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अलोकप्रिय एवं अनिस्तारित रिक्त विलॉज (डुप्लैक्स), भवनों, फ्लैटस् जिन्हें दिनांक 23–02–2023 को सम्पन्न 122वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 15 पर पारित निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्त तक दिनांक 31–03–2018 की कीमत को फ्रीज करते हुए प्रथम–आओं, प्रथम–पाओं, पद्धति से निस्तारण हेतु निर्णय पारित हुआ था, बचे हुए फ्लैटस को "प्रथम–आओ प्रथम–पाओ" से निस्तारण हेतु अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त चले आ रहे फ्लैटस् को वर्ष 2018 के मूल्यांकन पर दिनांक 31–03–2026 तक "प्रथम–आओ, प्रथम पाओ" पद्धति से आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
16	गंगानगर योजना पॉकेट सी में बिल्डर के पक्ष में बल्क में आवंटित भूमि के सापेक्ष देय प्रतिकर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ग्रेटर गंगा ग्रेटर गंगा कालोनी का विक्रय योग्य भूमि के आधार पर प्रतिकर मद में देय धनराशि जमा कराये जाने के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया गयाः– 1. ग्रेटर गंगा कालोनी के जिन भूखण्ड धारकों द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर की

		धनराशि जमा नहीं की गयी है, उनसे पूर्व में जारी किये गये नोटिस के दिनांक से रूपये 412/-प्रतिवर्ग मीटर की दर से नियमानुसार 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि जमा कराने के पश्चात् पूरक विलेख निष्पादित किया जायेगा। 2. ग्रेटर गंगा कालोनी के जो भूखण्ड धारक रूपये 440/-की दर से सब्याज देय अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि का भुगतान करके पूरक विलेख निष्पादित करा चुके है अथवा पूरक विलेख निष्पादित नही कराया गया है, ऐसे भूखण्ड धारको को धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
17	प्राधिकरण की पाण्डव नगर आवासीय योजना के पाकिट–डी में निर्मित दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन सं0–डी–69 से 80 तक 12 भवनों की जर्जर स्थिति हो जाने के कारण गंगा नगर (आवासीय योजना के पॉकिट–जे) में स्थित अल्प आय वर्ग श्रेणी के फ्लैटों में (09 भवनों) के परिवर्तन एवं तीन (03) भवन पाण्डव नगर योजना में ही परिवर्तन हो जाने के उपरान्त दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के आवंटियों की अवशेष देयता की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पांडव नगर योजना के फ्लैटस् के आवंटियों का समायोजन गंगानगर योजना एवं पांडव नगर योजना के अन्य फ्लैट में किये जाने के फलस्वरूप देय धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज से लिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

31

	सामान्य ब्याज से जमा कराये जाने हेतु प्रस्ताव।	
18	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा हवाई पट्टी के निर्माण हेतु नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी 46.53 एकड भूमि के सापेक्ष देय धनराशि पर आंकलित ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त नागरिक उड्डयन विभाग की ब्याज मॉफी की मॉंग पर जनहित में एवं शासकीय विभाग से प्रकरण सम्बन्धित होने के दृष्टिगत भूमि का बेसिक मूल्य एवं विकास शुल्क जमा कराने के निर्देश के साथ, देय धनराशि पर ब्याज न लेने का निर्णय लिया गया।
19	मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में ग्रामीण विकास निधि को समाप्त करने सम्बन्धी।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्रामीण विकास निधि को समाप्त करने के निर्देश दिये गये।
20	ग्राम मुकर्रबपुर पल्हेडा स्थित खसरा नम्बर 328 की भूमि पर आर0आर0टी0एस0 द्वारा किये जा रहे निर्माण को लेकर आ रही समस्या के निस्तारण के सम्बंध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06–09–2014 के मद संख्या–03 द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये विस्तृत प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण योजना के प्रारम्भ से ही निर्माण से आच्छादित ऐसे भूखण्ड जहां वर्तमान दिनांक तक प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है एवं जहां वर्तमान दिनांक तक भूमि के सापेक्ष किसी भी

311

		प्रकार का मुआवजा/प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में भी सुसंगत नीति निर्धारित करते हुये विस्तृत प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
21	प्राधिकरण के अभियन्त्रण सम्बन्धी कार्यो हेतु राईटस को इंजीनियरिंग कन्सलटेंट नामित करने सम्बन्धी	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त परिचालन प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

<u>अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रस्तुत प्रस्ताव</u>–

1. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मेरठ की, सोहराब गेट बस स्टेशन को अन्यत्र स्थापित होने तक, बस स्टैण्ड को अस्थायी रूप से संचालन हेतु लोहियानगर योजना में 2.00 हैक्टेअर भूमि दिये जाने की माँग पर बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त प्राधिकरण एवं रोडवेज की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हांकन उपरान्त् पूर्व में एन.सी.आर.टी.सी. के साथ किये गये किराये अनुबन्ध के समान दरों पर (जब तक की शासन स्तर से किराये में किसी प्रकार की छूट का आदेश नहीं होता है) डा0 राम मनोहर लोहियानगर में 2.00 हेक्टेअर भूमि, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मेरठ को किराये पर दिये जाने के निर्देश दिये गये।

2. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ द्वारा अपने पत्र संख्या–2901/अधी०अभि०–मेरठ/जी–13/926 दिनांक 03–12–2024 द्वारा परिषद की योजनाओं में अनाधिकृत निर्माण को सील बन्द किये जाने के सम्बन्ध में सीलिंग सम्बन्धी अधिकार अधिशासी अभियन्ताओं को प्रतिनिधायन किये जाने के अनुरोध पर मा० बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त् निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 के अध्याय–9 की

धारा–82 में अनाधिकृत निर्माणों को हटाने एवं गिराने के लिये निर्देश देने का अधिकार प्रदत्त है। जबकि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–51 प्रत्यायोजन करने की शक्ति (Power to delegate) की उपधारा–(2) *"प्राधिकरण, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगा कि विनियम या उपविधि बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जांने वाली किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भी ऐसे मामलों में एवं ऐसी शर्तो, यदि कोई हो, के अधीन किया जाये, जैसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये।"* उल्लिखित है।

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद के अधीन क्षेत्रान्तर्गत उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–28–क–अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति–(1) व (2) में प्रदत्त शक्ति अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को प्रतिनिधायन करने के मा० बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(आनन्द कुमार सिंह) सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	**(अभिषेक पाण्डेय)** उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	**(सेल्वा कुमारी जे0)** अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड, मेरठ।